Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ब्यावर में क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वन रक्षक 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 मार्च, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **नितिन शर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ब्यावर एवं नरसी राईका वन रक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, ब्यावर** को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कोयले की गाड़ी को छोड़ने की बकाया राशि के रूप में आरोपी नितिन शर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ब्यावर एवं नरसी राईका वन रक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, ब्यावर द्वारा **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरविजन में एसीबी अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भागचंद मीणा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री दीनदयाल वैष्णव** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी नितिन शर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं नरसी राईका वन रक्षक को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत से पूर्व ही कोयले की गाड़ी छोड़ते समय परिवादी से **85 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**